न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. शंकरसिंह पुत्र उदयसिंह उर्फ उदेसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चाडवास तहसील सोजत जिला पाली	:	तहसीलदार भूमि धाकर सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी

रा.स.प्रा. पत्र संख्या 23/2023

उपस्थिति:-

01. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक :- 08/10/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चाडवास में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 के पूर्वजो के समय से वादस्थ भूमि जिसके पुराना खसरा संख्या 625 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा आई हुई स्थित है। उक्त खसरे के नये खसरा नम्बर 1040 रकबा 1.8400 हैक्टर है की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। खसरा संख्या 625 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा की कृषि भूमि प्रथम सेटलमेन्ट में उदयसिंह के नाम दर्ज थी। जिसे पर वह काश्त करते थे। जिनके देहान्त के पश्चात परिवार में सबसे बडे होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 02 पूखसिंह का राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। सम्वत 2026 से 29 की जमाबन्दी एवं खसरा मिलान सम्वत 2029 से 33 में दर्ज हे। द्वितीय सेटलमेन्ट के पश्चात प्रथम जमाबन्दी सम्वत 2043 से 46 में भी पुखरिांह ही दर्ज है। तत्पश्चात प्रार्थी स्वर्गीय उदयसिंह का जायन्दा पुत्र होने की वजह से माननीय न्यायालय मे अपना वाद प्रस्तुत किया न्यायालय द्वारा प्रार्थी शंकरसिंह को स्वर्गीय उदयसि हके वारिस के तौर पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। उक्त के पश्चात बंटवाडा का वाद पेश किया गया जिसमें प्रार्थी के पक्ष में खसरा संख्या 1040 रकबा 0.80 तथा पुखसिंह के हिस्से में 1040/1 रकबा 0.9200 हेक्टर रखा गया । खसरा संख्या 625 की कृषि भूमि के पश्चिम में खसरा संख्या 529 गैर मुमकिन रास्ता आया हुआ है। जो प्रथम सेटलमेन्ट से आज कायम है। द्वितीय सेटलमेन्ट में अधिकारीयों द्वारा अपनी मन मर्जी अनुसार उक्त पुराना खसरा संख्या 529 के दो टुकडे कर नए खसरा नम्बर 954 951 बनाया जिसमें 954 के रास्ते को लम्बा व चौडा बताते हुए खसरा संख्या 953 और 1041 के बीच नया रास्ता नक्शे में तरमीम कर दिया। जबकि उक्त खसरा के बिच कोई रास्ता मौजुद नही है। मौके पर आज भी मकानात बने हुए है। सैटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा बिना किसी अधिकार के बिना किसी उच्च अधिकारी के 01 बीघा व 04 बिस्वा भूमि को कम कर दिया जो गलत है। ग्राम के कुछ व्यक्ति द्वितीय सेटलमेन्ट अनुसार मौके पर फेरबदल करना चाहते है जिनका उनको कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थी सं.ख्या 01 द्वारा प्रार्थी को वादस्थ भूमि से प्रार्थी को मेहरूम करने पर उतारू है ऐसा करने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है। जिससे सरहद मौजा चाडवास के खसरा संख्या 1040, 1040/2, 1286/1040, एवम् 1287/1040 में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाजी न करने एवं खसरा संख्या 954 रकबा 5.8570 मे से 1 बीघा 4 बिस्वा की भूमि के समानान्तरण भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईस्तदुआ की है। राजस्व प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करना चाहने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा धाड़वास मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 के पूर्वजो के समय से वादग्रस्त भूमि जिसके पुराना खसरा संख्या 625 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा आई हुई स्थित है। खसरा संख्या 625 की भूमि के पश्चिम मे खसरा संख्या 529 गैर मुमकिन रास्ता आया हुआ है। जो प्रथम सेटलमेन्ट से आज कायम है। द्वितीय सेटलमेन्ट मे अधिकारीयो द्वारा अपनी मन मर्जी अनुसार उक्त पुराना खसरा संख्या 529 के दो टुकडे कर नए खसरा नम्बर 954 951 बनाया जिसमे 954 के रास्ते को लम्बा व चौडा बताते हुए खसरा संख्या 953 और 1041 के बीच नया रास्ता नक्शे मे तरमीम कर दिया। जबकि उक्त खसरो के बिच कोई रास्ता मौजुद नही है। मौके पर आज भी मकानात बने हुए है। सेटलमेन्ट अधिकारीया द्वारा बिना किसी अधिकार के बिना किसी उच्च अधिकारी के 01 बीघा व 04 बिस्वा भूमि को कम कर दिया जो गलत है। ग्राम के कुछ व्यक्ति द्वितीय सेटलमेन्ट अनुसार मौके पर फेरबदल करना चाहते है जिनका उनको कोई विधिक अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को वादग्रस्थ भूमि से प्रार्थी को मेहरूम करने पर उतारू है ऐसा करने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोकेजानेकी ईश्तदुआ की है। जबाब बहस मे तहसीलदार सोजत ने निवेदन किया कि रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन जारी नही किया जा सकता है। द्वितीय सेटलमेन्ट से ही रेकर्ड में रास्ते की भूमि इन्द्राज है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलीय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहों के शपथ पत्र से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता हैं। यद्यपि पक्षकारो के हक अधिकारों को मूल वाद मे तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूतों एवं गुणावगुण पर तय किया जायेगा। हस्तगत प्रकरण मे रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 08/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली